WESTERN RAILWAY

P.S.No.154/2014

Headquarter Office,
Churchgate, Mumbai-20

No. E/HER/526/7 Vol.V

Date: .01.2015

To,
All DRMs / CWMs & Units Incharge,
C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.
C/- ZS-All India SC/ST Rly Employees. Assn,'W' Zone, Mumbai
C/- ZS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub: Implementation of the provisions of "The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013".

==========

A copy of Railway Board's letter No.2014/E(LL)/SCA/1 dated 29.12.2014 is sent herewith for information, guidance and necessary action.

Encl: As above.

16/1/15

(Dr. (Mrs) Sanghmitra)
Dy CPO(W)
For General Manager (E)

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

No. 2014/E (LL)/SCA/1 New Delhi dated: 29.12.2014

The General Managers,
All Zonal Railways and Production Units

Sub: Implementation of the provisions of "The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013".

In continuation of Board's letter of even number dated 23.07.2014 on the subject cited above, copies of notification GSR No.726(E) dated 13.10.2014 issued in terms of the Section 2(1) (e) & (g) of the Act along with its corrigendum No. 2985 dated 26.11.2014 are enclosed for information and necessary action.

DA As above

(Ashutosh Garg)
Dy. Director Estt.(LL)

Copy to:

EDME (Coaching), EDME (Dev.), EDPM, ED (L&A) III and ED (Health), Railway Board along with a copy of notification for information.

*****

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 533]	नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 15, 2014/आश्विन 23, 1936
No. 533]	NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 2014/ASVINA 23, 1936

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2014

सा.का.नि. 726(अ).—केंद्रीय सरकार, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25) की धारा (2) की उपधारा (1) के खंड (ड) के परंतुक और खंड (छ) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अनुसरण में भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 376(अ), तारीख 4 जून, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना में, शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों 'धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड) के साथ पठित धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए के स्थान पर धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए' के स्थान पर 'धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड) के परंतुक और खंड (छ) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अनुसरण में' शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 2014/ई (एल एल)/एस सी ए/1]

रागिनी येचुरी, कार्यकारी निदेशक (आई आर) रेलवे बोर्ड

पाद टिप्पण मूल अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 376(अ), तारीख 4 जून, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October 2014

G.S.R. 726(E).—In pursuance of the proviso to clause (e), and clause (b) of the Explanation to *clause* (g) of sub-section (1) of Section 2 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (25 of 2013), the Central Government hereby makes the following amendments in the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board) notification number G.S.R. 376 (E), dated the 4th June 2014, namely:—

In the said notification, for the words, brackets, letters and figures, "In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 36 read with clause (e) of the sub-section (1) of Section 2", the words, brackets, letters and figures, "In pursuance of the proviso to clause (e), and clause (b) of the *Explanation* to clause (g) of sub-section (1) of section 2", shall be substituted.

[F. No. 2014/E(LL)/SCA/1]

RAGINI YECHURY, Exe. Director (IR) Railway Board

Foot Note : The principal notification was published *vide* number G.S.R. 376(E), dated the 4th June 2014.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2400] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 27, 2014/अग्रहायण 6, 1936
No. 2400] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 27, 2014/AGRAHAYAN 6, 1936

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2014

का.आ. 2985 (अ).—हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ड.) के परंतुक और खंड (छ) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अधीन भारत सरकार के रेल मंत्रालय की भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 15 अक्तूबर, 2014 में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 726(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2014 के हिंदी पाठ में पृष्ठ (1), पंक्ति 9 से पंक्ति 13 के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ें,—

"उक्त अधिसूचना में, शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों "धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ड.) के साथ पठित धारा 36 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए" के स्थान पर "धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ड.) के परंतुक और खंड (छ) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अनुसरण में" शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।"

[फा. सं. 2014/ई(एलएल)/एनीए/1]

रागिनी येचुरी, कार्यकारी निदेशक (आईआर) रेलवे बोर्ड

4668 GI/2014
Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.